पत्रक (5)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक ..193../अकादमी(पात्रता)/2022 भोपाल, दिनांक 26/05/2022

–:अधिसूचना:–

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रवेश संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांत (2022–23) के साथ–साथ पात्रता संबंधी शर्तों/निर्देशों के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश देवें। पात्रता संबंधी सामान्य निर्देश निम्नानुसार है एवं पात्रता आवेदन पत्र वेबसाईट www.bubhopal.ac.in पर उपलब्ध है।

नोटः– इस अधिसूचना में लिखित निर्देशों मे तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता 'विरोधाभास' पाये जाने पर अथवा किसी बिन्दु के इन्टरप्रेटेशन की आवश्यकता की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश मान्य होंगे एवं विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

(A) i पात्रता प्रमाण पत्र शुल्कः–

स.क्रमांक	पत्रता आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जमा करने की तिथियो का विवरण	सामान्य शुल्क रूपये	विलम्ब शुल्क रूपये	कुल राशि रूपये
01	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक	300	——	300
02	प्रावधिक प्रवेश की अंमित तिथि से 30 दिनों तक	300	300	600
03	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिनों तक	300	600	900
04	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 75 दिनों तक	300	1000	1300

ii पात्रता प्रमाण पत्र के ऑन लाईन आवेदन करने के पश्चात हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रमाण पत्रो को पात्रता शाखा में 15 दिनो के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा सत्यापन पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

iii उक्त बिन्दु में उल्लेखित समयावधि में अभिलेख (हार्ड कॉपी) प्रस्तुत ना करने की स्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर वर्तमान राशि अतिरिक्त देय होगी।

iv पात्रता आवेदन ऑनलाईन भरते समय स्नातक में प्रवेश के लिये 12वीं की अंकसूची एव स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिये स्नातक अन्तिम वर्ष की अंकसूची संलग्न करें, द्वितीय वर्ष की अंकसूची से भरा गया फार्म निरस्त माना जावेगा।

v पात्रता आवेदन फार्म में किसी प्रकार की आपत्ती होती है, तो 30 दिवस के अन्दर आपत्ती की पूर्ति कर दी जावे अन्यथा पात्रता आवेदन निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेह महाविद्यालय की होगी।

(B) i 10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इन्टर मीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पस्टीकरण– मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. /एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड(Open Board) एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। अन्य राज्यो से 12वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ii आई.टी.आई.उत्तीर्ण आवेदक 12 वी. (10+2)समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

iii विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा आवंटन का तात्पर्य यह कदापी नही होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता।

iv मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

v समस्त विद्यार्थी बिन्दू क्रमांक (-C-) में उल्लेखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी पात्रता सुनिश्चित करे, यदि उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त विद्यार्थी के प्रवेश उपरान्त पात्रता संबंधी कोई त्रुटि/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त दायित्व विद्यार्थी का स्वयं का होगा तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

vi उक्त विद्यार्थियो के अतिरिक्त अन्य समस्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समस्त पाठ्यक्रमों में पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रकिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने वाले देश की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर वि.वि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vii आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र. 352/243/आउशि/शा-5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम मे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वंम के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने कीस्थिति मे आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया है। एवं डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व का वैध प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

iii ऐसे विश्वविद्यालय जिनका परीक्षा परिणाम ऑनर्स विषय के अंको से जारी होता है । उन्हें उक्त विश्वविद्यालय से ट्रान्स्कृप्ट बनाकर लाना होगा।

x माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे विज्ञान से मिलते जुलते विषय जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री माइकोबॉयोलाजी एण्ड मेनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिऐ किये गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को अंतिम माना जायगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

(C) पात्रता प्रमाण पत्र छूट संबंधी सामान्य निर्देश:-

1 स्नातक प्रथम वर्ष ऑनर्स हेतु:- म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 547/2484/सीसी/2018 भोपाल दिनांक 06/06/2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यकमों यथा-बी.ए. बी.एस.सी. बी.कॉम एव बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमो में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा अनु जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदको के लिये 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

2. बी.ए.एल.एल.बी., बी.कॉम.एल.एल.बी., एवं एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:- कमशः हायर सेकेण्ड्री (10+2) एवं स्नातक अर्हतादायी परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियो के लिये 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 42 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा बार कांउसिल के निर्णयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।

एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु:- कमशः हायर सेकेण्ड्री (10+2) एवं पूर्व ग्यारहवीं परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियो के लिये 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिये 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 42 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा बार कांउसिल के निर्णयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।

3. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु:- एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होगें। (न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होंगे) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

4. **बी.बी.ए. एवं बी.पी.ई.एस. में प्रवेशित हेतु:-** हायर सेकेण्ड्री (10+2) तथा बी.लिब. में प्रवेश हेतु:- स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से पूर्व में हायर सेकैण्ड्री (ग्यारहवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6 एम.सी.एम/पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. सोशल वर्क एवं बी.सी.ए.पाठ्यक्रम में प्रवेश :-

(अ) एम.सी.एम/पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. सोशल वर्क:- में प्रवेश हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) बी.सी.ए.:- म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 667/175/सी.सी./18/38 दिनांक 10/07/2018 द्वारा हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा किसी भी संकाय मे (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीव विज्ञान) गणित विषय

के साथ एवं न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होगें। गणित विषय मुख्य व अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।

7 जिन विद्यार्थियों ने पूर्व प्रचलित हायर सेकेण्ड्री. (10+2+3) के अंतर्गत स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

8 अंकों के प्रतिशत में छूट एवं आयु संबंधी नियम तथा अन्य नियम भी मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एवं नियामक संस्थाओं के नियमानुसार ही मान्य होंगे। म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र 2022–23 में स्नातक / स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा तथा अंकों की छूट संबंधी नियम लागू होंगे।

9 पी–एच.डी. पाठ्यक्रम :– पी–एच.डी. के संबंध में अध्यादेश 11 में उल्लेखित प्रावधानों के नियम लागू होंगे। विसंगति की दशा में संबंधित संकायाध्यक्षों अथवा अध्यक्ष अध्ययन मण्डलों का अभिमत मान्य होगा।

10 मध्यप्रदेश संस्कृत की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायरसेकेण्ड्री परीक्षा के समकक्ष माना जाये, स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

11 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

12 यू.जी. / पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

13 स्नातक स्तर हेतु :– 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी।

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय / वाणिज्य संकाय / कला संकाय / गृह विज्ञान संकाय / बी.बी.ए. / बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय / कला संकाय / गृह विज्ञान संकाय / बी.बी.ए. / बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय / गृह विज्ञान संकाय / बी.बी.ए. / बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय / कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय / बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह) (जीव विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे– माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय) म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 394 / 73 / सी.सी. / 2017 दिनांक 03 / 05 / 2018 के अनुसार
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय / वाणिज्य संकाय / विज्ञान संकाय / गृह विज्ञान संकाय / अंक सूची मे दर्शित विषयों के अनुसार ।

14 **स्नातकोत्तर स्तर हेतु**:– स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए. / एम.कॉम. / एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम. / बी.बी.ए. / बी.ए.मैनेजमेंट (अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, वाणिज्य एवं विद्या परिषद् सदस्य द्वारा स्वीकृत)
2	एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी. संबंधित विषय
3	एम.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी. (गृहविज्ञान)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस. डब्ल्यू	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत आवश्यक)

15 स्नातक स्तर में कक्षा 12वी उत्तीर्ण आवदकों की मूल अकसूची के अभाव में इन्टरनेट की डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित्त अंक सूची मान्य होगी, ऐसे छात्र–छात्राओं को प्रावधिक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

(D) i पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश– विद्यार्थियों के लिये:–

1. पात्रता प्रवेश पूर्व की प्रकिया है अतः विद्यार्थी यह सुनिश्चत कर लें, कि प्रवेश से पूर्व किस पाठ्यकम में प्रवेश चाह रहें हैं, तथा नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
2. बाह्रय प्रदेशों के संबंधित सभी छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है तो संबंधित छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है।
1. पात्रता आवेदन पत्र के साथ संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य है जो कि संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है ।
2. अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर के प्रथम–द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यकमों के पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में पात्रता तभी दी जावेगी जब उनके पाठ्यकम इस विश्वविद्यालय के पाठ्यकम के समकक्ष होगें। यदि पाठ्यकम में 50 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाई जाती है तो प्रवेश नही दिया जावेगा।

(D) ii पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश– प्राचार्यो/संचालकों/निर्देशको के लिये:–

1. प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चत कर लें कि संस्था को संबंधित पाठ्यकम संचालित करने के लिये विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। संबद्धता प्राप्त की प्रत्याशा में दिये गये प्रवेश मान्य नही होंगे।
2. प्रवेश उतनी सीटों पर ही दें, जितनी सीटें विश्वविद्यालय द्वारा अथवा केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है।
3. यू.जी.सी. द्वारा जिन विश्वविद्यालय को फर्जी एवं अमान्य घोषित कर दिया गया है उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नही दिये जायें तथा ऐसे फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची संबंधित संस्थान के निर्देशक/महाविद्यलय के प्राचार्य यू.जी.सी. की वेबसाईट से डाउनलोड करें।
4. अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि.वि. से उत्तीर्ण छात्र –छात्राओं को प्रवेश देने पर संबंधित महाविद्यालयके प्राचार्यो/विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी। अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि0वि0 से उत्तीर्ण ऐसे छात्र –छात्राओं के प्रवेश/परीक्षा परिणाम निरस्त करने का अधिकार वि0वि0 को होगा।
5. विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ATKT प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जाये अन्यथा प्रवेश देने वाले महाविद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र 2021–22 मे स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
7. जिन छात्र/छात्राओं को शासन के किसी सामान्य नियमों के तहत अंकों में या सीटो मे छूट/आरक्षण का लाभ दिया जाता है, तो उसका महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उल्लेख करना सुनिश्चित किया जावे।
8. महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य प्रत्येक पाठ्यकम में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 15 दिन की समयावधि में विश्वविद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

(E) **स्नातक स्तर पर नियमित/स्वाध्यायी प्रवेश हेतु पात्रता:–**

1\. अ विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह–विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।

ब वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

स वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह–विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

द कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह–विज्ञान संकाय मे प्रवेश की पात्रता होगी ।

इ गृह–विज्ञान संकाय में हायरसेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा गृह विज्ञान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यकमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।

2\. अ बी.एस.सी. प्रवेश हेतु पात्रता :–हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा में बायोलॉजी समूह लेने वाले छात्रों को केवल बायोलॉजी समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।

ब हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा में गणित समूह लेने वाले छात्रों को केवल गणित समूह मे प्रवेश की पात्रता होगी।

स माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायर सेकेण्ड्री (10+2) में विज्ञान से मिलते-जुलते विषय तथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालेसिस, क्लीनिकल बॉयो केमेस्ट्री तथा माईको बायलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विषय लेकर उत्तीर्ण छात्रों को बी.एस.सी. भाग-1 बायोलॉजी ग्रुप में प्रवेश की पात्रता है।

द हायर सेकेण्ड्री (10+2) कृषि समूह वाले छात्रों को बी.एस.सी. भाग-1 बायोलॉजी समूह, मे एलाइड विषय जैसे माइक्रोबायलॉजी, बायोटैक, स्पेशल कन्जरवेशन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन्डस्ट्रीयल केमिस्ट्री एवं शीड टैक्नोलॉजी, में प्रवेश की पात्रता है।

इ 1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./ बी.एस.सी. (ग्रह विज्ञान संकाय) मे एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को अगले वर्ष/सेमेस्टर मे प्रवेश की पात्रता है किन्तु संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय-समूह मे आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

2 म0प्र0 राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा राज्य के अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर कीप्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्ही विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा मे स्थान रिक्त होने की स्थिति मे नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

(F) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 332/47/सीसी/2022/अडतीस दिनांक 12/05/2022 राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2022-23 के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की याचिका कमांक (सिविल) 276/12 मे पारित निर्णय दिनांक 31/12/2012 के परिपालन मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यकमों- बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. एम.पी.एड., बी.एड.एम. एड., (एकीकृत तीन वर्षीय), बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन- तीन वर्षीय), मे प्रवेश हेतु में ऑन लाईन प्रवेश समय सारणी तथा संबंधितएन. प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्वात लागू होंगे।

1. बी.एड., एम.एड, बी.पी.एड. एम.पी.एड. मे पात्रता फार्म के साथ रजिस्ट्रेशन (पंजियन)एवं महाविद्यालय अलाटमेंट (आवंटन पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(G) एम.बी.ए. के पाठ्यकम हेतु संचालक, तकनीकि शिक्षा (डी.टी.ई.) के प्रवेश नियम लागू होंगे

आदेशानुसार

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 1.9.\1../अकादमी (पात्रता)/2022 भोपाल, दिनांक26/05/2022

प्रतिलिपि :-1.सर्व संबंधितो को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3.विश्वविद्यालय से सबंद्ध समस्त शासकीय एवं निजि महाविद्यालयों के प्राचार्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु अग्रेसित।
4.उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5.वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6.कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
7.कुलसचिव जी के निज सचिव के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
8.निज नस्ती।

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक 196 /अकादमी शाखा (पात्रता)/2022

भोपाल दिनांक 26 /05/2022

—:अधिसूचना:—

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगणों को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 332/47/सी.सी./2022/38 दिनांक 12/05/2022 के द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) में प्रवेश समय सारणी के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निम्नानुसार तिथि एवं शुल्क देय होगा :—

स0क्रमांक	दिनांक का विवरण	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	कुल राशि
01	01/07/2022 से 15/07/2022 तक	रूपये 300/—	—	रूपये 300/—
02	16/07/2022 से 31/07/2022 तक	रूपये 300/—	रूपये 300/—	रूपये 600/—
03	01/08/2022 से 15/08/2022 तक	रूपये 300/—	रूपये 600/—	रूपये 900/—
04	16/08/2022 से 14/09/2022 तक	रूपये 300/—	रूपये 1000/—	रूपये 1300/—

पात्रता प्रमाण पत्र का आवेदन वि0वि0 की वेबसाइट WWW.bubhopal.ac.in पर आन लाईन भरना होगा। समस्त दस्तावेज प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है, तत्पश्चात इसकी हार्डकापी (Hard Copy) के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र, पात्रता शाखा में **15 दिनों** के अन्दर प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा, इसके पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। समय से पात्रता आवेदन पत्र वि0वि0 में जमा न करने पर, जमा करने की दिनांक पर जो भी विलम्ब शुल्क चल रहा होगा, वह देय होगा।

नोटः— 1. पात्रता आवेदन पत्र के साथ आंवटित महाविद्यालय का पत्र, एवं 10 वी, 12 वी तथा स्नातक पास की अंकसूची लगाना अनिवार्य है।

2. **मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड(Open Board) एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल सहित म.प्र. के समस्त पारम्पारिक विश्वविद्यालयों उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र से छूट रहेगी।**

3. **अन्य राज्यो से 12वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

4. पात्रता आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) एवं महाविद्यालय ऑलाटमेन्ट लेटर (आवंटन पत्र) और मूलनिवास प्रमाण पत्र एवं 2022–23 की संबद्धता/निरन्तरता अधिसूचना संलग्न करना अनिवार्य है।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक 195 /अकादमी शाखा (पात्रता)/2022 भोपाल दिनांक 26/05/2022

अधिसूचना

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचायगणों को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 330/46/सी.सी./2022/38 दिनांक 12/05/2022 के द्वारा जारी सामान्य पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समय सारणी के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निम्नानुसार तिथि एवं शुल्क देय होगा :–

स0क्रमांक	दिनांक का विवरण	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	कुल राशि
01	15/07/2022 से 31/07/2022 तक	रूपये 300/–	-	रूपये 300/–
02	01/08/2022 से 15/08/2022 तक	रूपये 300/–	रूपये 300/–	रूपये 600/–
03	16/08/2022 से 31/08/2022 तक	रूपये 300/–	रूपये 600/–	रूपये 900/–
04	01/09/2022 से 30/09/2022 तक	रूपये 300/–	रूपये 1000/–	रूपये 1300/–

पात्रता प्रमाण पत्र का आवेदन वि0वि0 की वेबसाइट WWW.bubhopal.ac.in पर आन लाईन भरना होगा। समस्त दस्तावेज प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है, तत्पश्चात् इसकी हार्डकापी (Hard Copy) के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र, पात्रता शाखा मे **15 दिनों** के अन्दर प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा, इसके पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। समय से पात्रता आवेदन पत्र वि0वि0 मे जमा न करने पर, जमा करने की दिनांक पर जो भी विलम्ब शुल्क चल रहा होगा, वह देय होगा।

नोट:– 1. पात्रता आवेदन पत्र के साथ आंवटित महाविद्यालय का पत्र, एवं 10 वी, 12 वी तथा स्नातक पास की अंकसूची लगाना अनिवार्य है।

2 मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड(Open Board) एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल सहित म.प्र. के समस्त पारम्पारिक विश्वविद्यालयों उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र से छूट रहेगी।

3 अन्य राज्यो से 12वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय